## HRA ATUSTUS THE GAZEtte of India

## **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

्रप्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1741] No. 1741] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 27, 2009/कार्तिक 5, 1931

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2009/KARTIKA 5, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसुचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2009

का.आ. 2703(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 10 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अनुराग गोयल को 2 सितम्बर, 2009 (अपराह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पूर्वत्तर हो, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

2. उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 6 अक्तूबर, 2003 में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 784(अ) तारीख 6 अक्तूबर, 2003 द्वारा यथाअधिसुचित किए गए थे, शासित होंगे।

[फा. सं. 5/2/2008-सीएस]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th October, 2009

S.O. 2703(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 read with sub-section (1) of Section 10 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby appoints Shri Anurag Goel as Member of the Competition Commission of India with effect from 2nd September, 2009 (afternoon) for a period of five years or till he attains the age of 65 years or until further orders, whichever is the earliest.

2. The terms and conditions of his service will be governed by Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2003 as notified *vide* notification No. G.S.R. 784(E) dated 6th October, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii).

[F. No. 5/2/2008-CS]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.